**संख्या-24/2023/954ई-2/तेरह-2023-1686903**

प्रेषक,

**राकेश कुमार सचान,**

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2023

**विषयः-अल्कोहल वर्ष 2021-22 में देश के बाहर 2000 ब.ली. मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट निर्यात करने की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-185/नौ-अल्कोहल/2021-22/देश के बाहर निर्यात(4)/भा.नि.वि.म., दिनांक 23-11-2022एवं समविषयक पत्र दिनांक 19-01-2023 तथा 01-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके संदर्भगत पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव एवं आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर को अल्कोहल वर्ष 2021-22 में 2000 ब.ली.मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट देश के बाहर निर्यात किये जाने की अनुमतिनिम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) यह निर्यात मेसर्स रेडिको खेतान लि. जनपद रामपुर की स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता के अंतर्गत ही होगा।

(2) इकाई द्वारा एक बार में 500ब.ली. से ज्यादा का आवेदन नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन के लिये रू.3000/- की ऑनलाइन प्रासेसिंग शुल्क अग्रिम रूप से आसवक द्वारा जमा किया जायेगा।

(4) प्रदेश में माल्ट स्प्रिट की कमी होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा इन उत्पादों के निर्यात पर रोक लगायी जा सकेगी, जिस पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

भवदीय,

**(राकेश कुमार सचान)**

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in